बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

आम सूचना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2020 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा NIC के ऑनलाईन पोर्टल पर सूचनाओं को अंकित किये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा, में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त ₹10,000/-(दस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

2. पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अन्तरित करने हेतु NIC द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2020 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं की जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया है।

3. तदालोक में सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल को **www.ekalyan.bih.nic.in/edubihar.aspx** के माध्यम से खोलकर अपने से सबधित सभी सूचनाओं की जाँच कर लें कि अंकित सूचनाऐं सही हैं अथवा नहीं। इसके अलावा उक्त पोर्टल में Login करने के पश्चात् रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नं0, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड से संबंधित सूचना आदि को अंकित किया जाना है, साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2020 में उत्तीर्ण छात्राओं को अपने अविवाहित होने का प्रमाण पत्र NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

4. NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल को Login करने के लिए छात्रा/लाभुक के पास संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा 2020 में हासिल किये गये कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी।

5. ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए।

6. इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किये जाने क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर विशेष ध्यान रखा जाये। प्रयास किया जाए की सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से किया जाय।

7. किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं0-8292825106, 9534547098 8986294256 एवं ई0मेल- mkuy.nic@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

8/9/20

निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

0-Sec-05/Press_reg-31